उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः2/2015/736/24-पी-2-15-सा0(30)/2015

लखनऊः दिनांकः 24 मार्च, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-4035/24-पी-14-1(17)/2003, दिनांक 10-12-2014 के अधीन तथा दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, मुख्य अभियंता (वितरण), मध्यांचल विधुत वितरण निगम लि0, बरेली जोन, बरेली को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्ते लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः2/2015/736(1)/24-पी-2-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव महोदय के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विधुत वितरण निगम लि0, आगरा/मध्यांचल विधुत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. ऊर्जा अनुभाग-1 एवं 3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः2/2015/736(2)/24-पी-2-15-सा0(30)/2015

लखनऊः दिनांकः 24 मार्च, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-4035/24-पी-14-1(17)/2003, दिनांक 10-12-2014 के अधीन तथा दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री वेद प्रकाश वर्मा, मुख्य अभियंता (वितरण), लखनऊ जोन मध्यांचल विधुत वितरण निगम लि0, लखनऊ को मध्यांचल विधुत वितरण निगम लि0, लखनऊ के निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री वेद प्रकाश वर्मा पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः2/2015/736(3)/24-पी-2-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव महोदय के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विधुत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. ऊर्जा अनुभाग-1 एवं 3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः2/2015/736(4)/24-पी-2-15-सा0(30)/2015

<u>लखनऊः दिनांकः 24 मार्च, 2015</u>

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-4035/24-पी-14-1(17)/2003, दिनांक 10-12-2014 के अधीन तथा दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री सत्यवीर सिंह राठौर, मुख्य अभियंता (वितरण), आगरा जोन, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के निदेशक (वाणिज्य) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री सत्यवीर सिंह राठौर पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

<u>संख्याः2/2015/736(5)/24-पी-2-2015, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव महोदय के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विधुत वितरण निगम लि0, आगरा।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. ऊर्जा अनुभाग-1 एवं 3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः2/2015/736(6)/24-पी-2-15-सा0(30)/2015

लखनऊः दिनांकः 24 मार्च, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-4035/24-पी-14-1(17)/2003, दिनांक 10-12-2014 के अधीन तथा दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री अजीत सिंह, मुख्य अभियंता, कार्यालय पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ, को पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी के निदेशक (वाणिज्य) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री अजीत सिंह पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः2/2015/736(7)/24-पी-2-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव महोदय के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. ऊर्जा अनुभाग-1 एवं 3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः2/2015/736(8)/24-पी-2-15-सा0(30)/2015

लखनऊः दिनांकः 24 मार्च, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-4035/24-पी-14-1(17)/2003, दिनांक 10-12-2014 के अधीन तथा दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियंता (पारेषण-पश्चिम), मेरठ को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ के निदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री अनिल कुमार पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः2/2015/736(9)/24-पी-2-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव महोदय के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. ऊर्जा अनुभाग-1 एवं 3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः2/2015/736(10)/24-पी-2-15-सा0(30)/2015

<u>लखनऊः दिनांकः 24 मार्च, 2015</u>

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-4035/24-पी-14-1(17)/2003, दिनांक 10-12-2014 के अधीन तथा दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री सुरेश चन्द्र भारती, मुख्य अभियंता, कानपुर जोन, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के निदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री सुरेश चन्द्र भारती पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

<u>संख्याः2/2015/736(11)/24-पी-2-2015, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव महोदय के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. ऊर्जा अनुभाग-1 एवं 3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.nic.in